

आरतीय गोर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

* उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
हिन्दू

11 मई 2012

गोरखपाल



गोरखपाल
मुहल्ला-गोरखाजार, पोस्ट-पीरनगर, गाजीपुर (उप्र०)
Munna Lal 08-05-12

BB 102905

माँ कलावती एजुकेशनल रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट
मुहल्ला-गोरखाजार, पोस्ट-पीरनगर, गाजीपुर (उप्र०)

न्यास विलेख (Instrument of trust) :-

यह न्यास विलेख आज दिनांक 08-05-2012 को गाजीपुर में गंगा प्रसाद तिंह पुत्र रव० इन्द्रदेव सिंह, मुहल्ला-गोरखाजार, पोस्ट-पीरनगर, विकासखण्ड-सदर, तहसील-गाजीपुर, जिला-गाजीपुर उप्र० द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रुपया 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की राशि है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, क्योंकि यह ट्रस्ट माँ कलावती एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों में दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की नमद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

क्रमांक:—2

गोरखपाल द्वारा

भारतीय गोर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सर्वदेश अधिकार

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

* उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 102906

12 मई 2011

-2-

इस द्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय मुहल्ला—गोरखाजार, पोस्ट—पीरनगर, विकासखण्ड सदर, तहसील—गाजीपुर, जिला—गाजीपुर रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय आई०डी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोरखाजार, गाजीपुर होंगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समायानुसार समय—समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

वयोंकि न्यासकर्ता/ द्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा द्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बध घोषित किया जाता है।

मैं कलावली एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड रीट्रिवल द्रस्ट, मुहल्ला—गोरखाजार, पोस्ट—पीरनगर, विकासखण्ड—सदर, तहसील—गाजीपुर, जिला—गाजीपुर :-

(इण्डियन द्रस्ट एकट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत द्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली :-

(1) द्रस्ट के उद्देश्य :- द्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

- बिना लिंग भेद किये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, बी०ए३०, बी०वी०ए३०, बी०टी०सी०, आर०टी०आई०, आई०टी०आई०, कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग, बी०ए०, बी०एस०सी०, एम०ए०, एम०एस०सी० एवं सभी प्रकार के टेक्नालोजिक कालेज, मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक धूगानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पालिटेक्निक कालेज, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, धिकित्सालयों, अनाथालयों, वृक्ष आश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रवासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सर्वेक्षण केन्द्र, समुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान की स्थापना, नाम करण विकास, सम्बद्ध आवद्ध, प्रबन्ध संचालन। समाजोत्थान, सम्बन्धी समस्त कार्य आदि कर सकना तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आवद्ध, पंजीकृत करा सकना।

गोर न्यायिक द्रस्ट

क्रमांक:—3

१०६ - २१६/१२

क्रमांक

१०

नोटरी

प्राप्ति राशि	150.00	60	210.00	3,000
फीस रजिस्ट्रे		नकल व प्रति चुनूक	वेष	अक्ष लगभग

प्राप्ति की संगी
श्री रंगा प्रसाद सिंह
पुत्र श्री इन्द्रदेव सिंह

चक्रवाच घटालत

निवासी श्यामा मोरावाजार पो. पीरनगर शहर गाजीपुर
आपाची एना ०
ने यह लेख्यत द्वय कार्यालय में दिनांक ८/५/२०१२ यात्रा १:४५PM
वज्रे निवाचन हेतु पेश किया।

रंगा प्रसाद सिंह

विष्यदन लंदणन दद मुनने व संबद्धन मंजूमन

न्यासी

श्री रंगा प्रसाद सिंह
पुत्र श्री इन्द्रदेव सिंह
पेशा वकालत
निवासी गोरावाजार पो. पीरनगर शहर गाजीपुर



रंगाप्रसाद सिंह के हस्ताक्षर
के पी. सिंह
उप निवन्धक सदर
गाजीपुर
८/५/२०१२

ने निष्पादन शीकायत किया।
जिल्ली यहावान श्री दिविजय उपाध्याय
पुत्र श्री उमाशंकर उपाध्याय
पेशा शिक्षक
निवासी कैथवलिया घरगना व जिला गाजीपुर
व श्री सकेश दुमार
पुत्र श्री जयकरन दाम
पेशा वकालत
निवासी हेतिमपुर परगना व जिला गाजीपुर



रंगाप्रसाद सिंह के हस्ताक्षर
के पी. सिंह
उप निवन्धक सदर
गाजीपुर
८/५/२०१२

दिविजय उपाध्याय

रंगाप्रसाद सिंह



भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 102907

-3-

१. विकास अभियान गतिविधिओं का संचालन करना।
२. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
३. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नभी संरक्षण करना।
४. उद्यानी करण एवं जंगलात का विकास करना।
५. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु यिविध कार्यक्रम संचालित करना।
६. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
७. कृषि संगीत संबंधित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
८. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नवार्ड, कपार्ट, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।
९. प्राविधिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा की स्थापना एवं संचालन तथा आई०आई०टी०, आई०टी०आई०, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजीथेरेपी एवं मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
१०. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
११. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
१२. अंधे, गुंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आयास, भोजन इत्यादि के व्यवस्था करना।
१३. अंधे, गुंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आयास, भोजन इत्यादि के व्यवस्था करना।

ग्राम प्रदेश कानून

क्रमांक: 4

2015-07-22

G91g

10

• 1. THE PRACTICE

中華書局影印
清人詩集卷之二

ચ્યારી

Registration No.: 37

Year : 2012

Book No.: 4

0101 गंगा प्रसाद रिह

इन्द्रदेव रिहाई

गोरखाजीर पो. शीरनगर शहर गाडीपुर

वर्षांस्त्रिय



आरतीय गोर न्यायिक

पुक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



संग्रहय व्रजन

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

* उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 102891

१७ मई २०१२

S

-4-

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कलां, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा मार्शल आर्ट संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, माषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास, आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एडस कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठके, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. सिलाई, कढाई, बुनाई, स्लिल प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी/ट्रस्ट के द्वारा अगर प्रस्ताव आदि दिया जाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमति से उसके द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों प्राविधिक एवं तकनीकी कालेजों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यवितयों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

गोर न्यायिक
गोर न्यायिक

क्रमांक — 5

भारतीय गोरन्यायिक

प्रधान
रूपये

₹.50

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935335

- 21. विधिसम्मत उपयोगी जानकारी का प्रधार एवं प्रसार कर सकना।
- 22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रधार कर सकना।
- 23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रधार—प्रसार कर सकना।
- 24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
- 25. ऐद्दस को बारे में जनजागरण करने हेतु प्रधार—प्रसार कर सकना।
- 26. पुस्तक, पुस्तिकार, पत्र, पत्रिकाएँ, समाचार—पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित, विकृति कर सकना।
- 27. द्रस्ट छारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
- 28. पत्राचार छारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा सत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
- 29. उपमोक्षा अधिकार, पर्यावरण सुधार चसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन धेतना आगृत करने हेतु कार्य कर सकना।
- 30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णधार कर सकना।
- 31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
- 32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति विन्ह आदि प्रदान कर सकना।

गोरा मन्त्रालय / काट

प्रमाण:—6



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AC 935336

—6—

33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/प्राधिकरित एवं तकनीकी कालेजों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. द्रस्ट के कोष एवं संपदा में सुदृढ़ि करना, विनियोजन करना तथा उसका द्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
35. द्रस्ट जन सामान्य के कार्य करेगा। द्रस्ट यथा सम्बन्ध अपनी सेवाएँ/वस्तुएँ लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। द्रस्ट हारा जनहित में सङ्केत खसंजा तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
36. द्रस्ट केवल विस्तीर्ण लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
37. द्रस्ट अपने समर्पण आय एवं लाभ कालान्तर में द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली विलनिक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधी खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

गंगा नदी १८/१८

क्रमांक:—7



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935337

-7-

(2) प्रारम्भिक सुपरक्ष :-

1. वर्तमान में द्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक से गंगा प्रसाद सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के संघिता भी है। इस द्रस्ट का मैनेजिंग द्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यक्त्य वर्तमान मैनेजिंग द्रस्टी अध्यक्ष, गंगा प्रसाद सिंह छारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो गंगा प्रसाद सिंह की मृत्यु के पश्चात् आनन्द कुमार सिंह एवं अखण्ड प्रताप सिंह पुत्रगण गंगा प्रसाद सिंह इस द्रस्ट के क्रमशः द्रस्टी होंगे।
3. वर्तमान मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब घाँह अपना उत्तर वायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

(3) मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :-

1. मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

गंगा प्रसाद सिंह

क्रमांक:—8

भारतीय गोरन्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935338

-8-

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगे, तो कि इस ट्रस्ट स्ट्राइक के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पूद पर आसिन व्यक्ति का व्यवितरण उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देसा है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
5. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनर्विचार करने हेतु स्वतंत्र है जबतक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।
6. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

गांगा प्रसाद किंटु

क्रमांक:—9



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935339

—०—

(4) बोर्ड आफ ट्रस्टीज़ :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विधार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज़ का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम इक्फीस सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही यिना किसी को कोई कारण बताएं ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज़ की मैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अव्यक्तता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विधार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विषेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया, निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

ग्राम प्रसाद किंदू

फलमश:—10

भारतीय गैर-न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

भारतीय

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935340

-10-

(5) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएँ :-

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तर दायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का मुगाबला करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) कार्यक्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति की विशेष सहायता एवं शाय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व शाय दे सकता है।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मघारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तांक कर निरस्त/स्थीकृत/अस्थीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्वेश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।


गंगा अनादि का

क्रमसंख्या—11

भारतीय गोरन्योगिक

पचास
रुपये

₹.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935341

-11-

(8) सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :-


1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अध्यक्ष अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के बेतन भर्ते सुमिधारं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्ता सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय यिना कोई कारण यताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यकाही कर सकता है अध्यक्ष उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(9) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के बेतन भर्ते सुमिधारं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

गोरन्योगिक ट्रस्ट
उत्तर प्रदेश

प्रमाण:—12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935342

-12-


3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त, कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण घटाये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तिको उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।
- (10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

यह कि इस ट्रस्ट डीब के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विसिन अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे : -

1. शोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक मुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
 2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के उपाध्यक्ष संघिव उपसंघियों की नियुक्ति करना।
 3. इस ट्रस्ट डीब में उल्लिखित ट्रस्ट के उददेश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।
- (11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थित में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा घटाये गये विषय पर विचार-विमर्श हेतु शोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक मुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

गोपी लक्ष्मी किंदू



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935343

-13-

(12) समिक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य :-

द्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए द्रस्ट का समिक्षक अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। द्रस्ट के समिक्षक के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं :—

1. द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. द्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. द्रस्ट फे अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्ता तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रापासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठो/विमागो केन्द्रो/संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. द्रस्ट को प्राप्त किसी विकायत की जांच निर्णयाक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्यविधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रधार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामाज्य के कल्याणर्थ यिभिन्न आयोजन कर सकना।

राजा भ्राता देवी

क्रमांक — 14

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935359

-14-

(13) सप्तसंविव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संविव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. संविव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. संविव द्वारा लिखित रूप से कार्यमार/कर्तव्यों का पालन करना।

(14) बैंक एकाउन्ट :-

1. द्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. द्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं द्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।


रुपये पचास रुपये

क्रमांक — 16

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935360

-15-

(16) विधिक कार्यवाही :-

यदि संस्था/द्रस्ट की ओर से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो संचिय अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वर्य या अन्य को अधिकृत कर सकता है।


(16) सम्पत्ति सम्बन्धी :-

1. द्रस्ट घल/अघल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. द्रस्ट की ओर से घल/अघल सम्पत्ति के सम्बन्ध में द्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. द्रस्ट का अध्यक्ष द्रस्ट की ओर से घल/अघल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।



इंद्रगढ़ अदालत
पंजाब

फैसला — 18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935361

-18-

4. द्रस्ट घल/अघल सम्पत्ति क्रय, विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता अध्यवा दे सकता है।

5. द्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार,आग्रह, मेट सम्मान पुरस्कार, स्मृति खिंच मानवेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।


6. द्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि को किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7. घल/अघल सम्पत्ति की प्रत्यक्षता, माहा, क्रय अनुशासि, बष्ठक, मारित, गिरवी, विमाजित आदि कर सकता है। ले सकता है, दे सकता है।

(17) विशेष :-

(क) इस द्रस्ट के अस्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय, पालिटेक्निक, ईजीनियरिंग कालेज/कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय/संस्था

मध्यरात्रि—17



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935362

-17-


उपक्रम के कार्य संयालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि यह इस छीड़ ऑफ ट्रस्ट में कलावती एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड ऐरिटेम्युल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमायती के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

- (ख) अध्यक्ष/द्रस्टी उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट छीड़ के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्धमें अध्यक्ष का यिन्हें व्यवस्था ही अन्तिम होगी इस घारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मैं कलावती एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड ऐरिटेम्युल ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्हित मैं कलावती एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड ऐरिटेम्युल ट्रस्ट गोरखाजार, पीरनगर, गाजीपुर के उद्देश्य एवं नियमावली एवं द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित,

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935363

-18-

घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त स्थान से विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्तांशर कर दिये गये।

साक्षीगण :-

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | नाम : गंगा प्रसाद सिंह
पता : अमृतनगर, भानीपुर | गंगा प्रसाद सिंह
संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी |
| 2. | नाम : रमेश चन्द्र
पता : ५१० अमृतनगर, भानीपुर
पर्सनल ऑफिस
पर्सनल ऑफिस | मौं कलावती एजुकेशनल, सिर्वर्स एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट
मुहल्ला—गोरामजार, पोस्ट—पीरनगर, थिकासखण्ड—सदर,
तहसील—गाजीपुर, जिला—गाजीपुर |

दिनांक : 08-05-2012

मस्तिष्कार्ता

Munna Lal Advocate
Reg. No. U.P. 1301/84 Date 08.05.12

गोपनीय महाप्रमाणिक


४४२

५१५७/१२

६०३३

गोपनीय राजस्व लिखा

मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए अधिकारी के हस्ताक्षर



आज दिनांक 08/05/2012 को
वहां सं 4 जिल्हा सं 38
पृष्ठ सं 247 से 284 पर क्रमांक 37
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के.पी. सिंह

उप नियन्त्रक सदर

गाजीपुर

8/5/2012